भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 715

08 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

ओएससीएससी को बकाया भुगतान

715. श्रीमती सुलता देव:

श्री निरंजन बिशी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धान/चावल खरीद के संबंध में ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (ओएससीएससी) को कितनी राशि का भुगतान करना बकाया है; और

(ख) सरकार ओएससीएससी को बकाया भुगतान कब तक चुका देगी?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ख): खाद्यान्नों की केंद्रीय पूल की खरीद के लिए राज्यों को ग्राह्य राशि का भुगतान राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा किए गए दावों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम/खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा लागत शीट के अनुसार किया जाता है, जिसमें खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ओडिशा सहित सभी विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्यों को उनकी खाद्य सब्सिडी के तिमाही दावों के आधार पर अनंतिम खाद्य सब्सिडी जारी की जाती है जो एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। स्टॉक के अथ शेष और अंत शेष, खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और वितरण, भारतीय खाद्य निगम के समायोजन, प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत आदि को ध्यान में रखते हुए इन दावों को प्रोसेस किया जाता है।

राज्य से कुछ दिशानिर्देशों के अनुपालन न किए जाने के कारण, कुछ दावों को छोड़कर, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा ओडिशा सरकार को उनके दावों के प्रति खाद्य सब्सिडी की ग्राह्य राशि निरंतर जारी की जा रही है। इस संबंध में वर्तमान वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1	2021-22	7892.69 रुपए
2	2022-23	7600.05 रुपए
3	2023-24	6205.02 रुपए (दिनांक 30.11.2023 तक)

*****